न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –37/2020

दायर दिनांक –24.11.2020

निर्णय दिनांक –20.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2020/00077

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री लाडा पुत्र स्व0 श्री हजारी जाति रावत तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्री रामा पुत्र स्व0 श्री हजारी जाति रावत तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री सरफुद्दीन, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, ... मौजा ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी ... खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 हैक्टयर एवं खाता संख्या ... कुल किता ... रकबा 3.92 ... में संयुक्त खातेदार लाली पत्नी हजारी जाति रावत के स्थान पर प्रार्थीगण लाडा पुत्र स्व0 हजारी तथा रामा पुत्र हजारी का नाम दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

प्रार्थीगण अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण ने उल्लेख किया है कि ग्राम तिलोरा की वर्किंग जमाबंदी के खाता नंबर 104 पर रिलीज डीड का नामान्तरण संख्या 657 दिनांक 24.01.2007 के अनुसार प्रार्थीगण की माता श्रीमती लाली देवी पत्नी स्व0 हजारी कौम जाति रावत के स्थान पर लाडा व रामा पुत्रगण स्व0 हजारी जाति रावत निवासी तिलोरा का अंकन दर्ज है। परंतु भू–प्रबंध के दौरान मिसल बंदोबस्त में त्रुटिवश उक्त नामान्तरण संख्या 657 दिनांक 24.01.2007 अमल होने से शेष रह कर लाली पत्नी हजारी के नाम पुनः दर्ज हो गया है।

ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	किस्म
तिलोरा	नया 104 पुराना 97	252	06–11–10	बारानी 2
		679	02–16–00	चाही 2
		681	02–03–00	चाही 2
		685 मिन	07–17–10	चाही 2
		689	00–01–00	गै.मु.चाह
		693	00–01–10	गै.मु.चाह
		694	09–12–00	बारानी 2
कुल क्षेत्रफल			29–02–10	

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/रीडर/2021/1387 दिनांक 31.08.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **प्रार्थी श्री रामा पुत्र हजारी कौम रावत निवासी तिलोरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम तिलोरा के हाल जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 55 पुराना 55 कुल किता 06 रकबा 0.80 हैक्टेयर व खाता संख्या 512 पुराना 512 कुल किता 17 रकबा 3.92 है0 है, पर दर्ज सहखातेदार लाली पत्नी हजारी कौम रावत सा. देह के स्थान पर ग्राम तिलोरा के वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 104 में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 24.01. 2007 के अनुसार लाली पत्नी हजारी कौम रावत सा. देह के स्थान पर लाड़ा व रामा पि. हजारी कौम रावत सा. देह का अंकन दुरस्ती [illegible] किया है। ग्राम तिलोरा की वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 104 पर पू[illegible] दर्ज विरासत/रिलीजडीड का नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 24.01.2007 के अनुसार लाली पत्नी हजारी कौम रावत सा. देह के स्थान पर लाड़ा व रामा पि. हजारी कौम रावत सा. देह के का अंकन दर्ज है। परन्तु भू–प्रबंध विभाग के दौरान तैयार मिसल बंदोबस्त में त्रुटिवश उक्त नामान्तरकरण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

657 दिनांक 24.01.2007 अमल होने से शेष रहकर लाली पत्नी हजारी का नाम पुनः दर्ज हो गया। उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 679 रकबा 02–16–00 बीघा के हाल नम्बर 372 रकबा 0.09 हैक्ट0, 374 रकबा 0.21 हैक्ट0, 588 रकबा 0.02 हैक्ट0, 589 रकबा 0.01 हैक्ट0, 590 रकबा 0.12 हैक्ट0 व 681 रकबा 02–03–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 373 रकबा 0.35 हैक्ट0 तथा खसरा नम्बर 252 रकबा 06–11–10 बीघा के नये खसरा नम्बर 615 रकबा 0.37 हैक्ट0, 616 रकबा 0.37 हैक्ट0, 617 रकबा 0.33 हैक्ट0 तथा खसरा नम्बर 685 मि. रकबा 07–17–10 बीघा के नये खसरा नम्बर 592 रकबा 0.37 हैक्ट0, 593 रकबा 0.14 हैक्ट0, 594 रकबा 0.38 हैक्ट0, 595/2554 रकबा 0.39 हैक्ट0 तथा खसरा नम्बर 689 रकबा 00–01–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 596 रकबा 0.01 हैक्ट0 तथा खसरा नम्बर 693 रकबा 00–01–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 612 रकबा 0.01 हैक्ट0 तथा 694 रकबा 09–12–00 बीघा के नये खसरा नम्बर 601 रकबा 0.09 हैक्ट0, 602 रकबा 0.16 हैक्ट0, 603 रकबा 0.19 हैक्ट0, 604 रकबा 0.18 हैक्ट0, 610 रकबा 0.29 हैक्ट0, 611 रकबा 0.13 हैक्ट0, 613 रकबा 0.12 हैक्ट0, 614 रकबा 0.39 है0 बने। ग्राम तिलोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 55 पुराना 55 किता 06 रकबा 0.80 हैक्टेयर व खाता संख्या 512 किता 17 रकबा 3.92 हैक्टेयर पर वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 104 किता 07 रकबा 29–02–10 बीघा में पूर्व में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 24.01.2007 अनुसार लाली पत्नि हजारी कौम रावत सा. दर्ज के स्थान पर लाड़ा व रामा पि. हजारी कौम रावत सा. देह का अंकन दुरस्त किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 55 पुराना 55 किता 06 रकबा 0.80 हैक्टेयर व खाता संख्या 512 किता 17 रकबा 3.92 हैक्टेयर पर वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 104 किता 07 रकबा 29–02–10 बीघा में पूर्व में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 24.01.2007 अनुसार लाली पत्नि हजारी कौम रावत सा. दर्ज के स्थान पर लाड़ा व रामा पि. हजारी कौम रावत सा. देह का अंकन दुरस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है **कि ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 है0 की संयुक्त खातेदार लाली पत्नी हजारी जाति रावत हि. 1/9 एवं खाता संख्या 512 कुल किता 17 कुल रकबा 3.92 है0 की संयुक्त खातेदार लाली पत्नी हजारी जाति रावत हि. 1/9 का अंकन किया गया है, जिसके स्थान पर संशोधन के पश्चात् नवीन राजस्व अभिलेख में खाता संख्या 55 कुल किता 06 कुल रकबा 0.80 है0 तथा खाता संख्या 512 कुल किता 17 कुल रकबा 3.92 है0 में लाली पत्नी हजारी जाति रावत के स्थान पर लाडा व रामा पिता हजारी जाति रावत (अन्य खातेदारों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज किया जावे।** पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

20.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:26 IST
Reason: SelfAttested